



परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ।

महत्वपूर्ण

पत्रांक: 245 रोपी/2020-145जन/चेकपोस्ट/99

दिनांक : 14 फरवरी, 2020

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,  
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)  
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषय: निगम बसों में यात्रियों की संख्या में अभिवर्धन करते हुये आय में वृद्धि एवं लाभदायकता सुनिश्चित करने हेतु अधिक यात्री उपलब्धता के चिन्हित स्थल (पिकिंग प्वाइंट) पर निगम कर्मियों की तैनाती के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि माह जनवरी 2020 में निगम के लोडफैक्टर व यात्रियों की संख्या में अत्यधिक कमी आयी है। लीन सीजन में यह आवश्यक है कि प्रत्येक यात्री को परिवहन सेवा उपलब्ध करायी जाय। प्रत्येक यात्री को जो बस रुकने की अपेक्षा करे अथवा उतारने का अनुरोध करे, को व्यवहार कुशलता के साथ सेवित किया जाय। प्रत्येक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाय कि एक भी यात्री निगम बस सेवा से वंचित न हो। इससे यात्रियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि अवश्य होगी।

समस्त क्षेत्रों में मुख्य नगरों की बाहरी सीमाओं पर ऐसे यातायात बिन्दु होते हैं जहां से यात्री प्रचुर संख्या में बस में सवार होते हैं अथवा बस से उतरते हैं। ऐसे ही नगर में कई चौराहे, उपनगर, करबे आदि हैं, जहां से यात्री न उठाने की परिवादे प्रायः आती रहती हैं।

अतएव तत्काल ऐसे स्थलों को क्षेत्रवार एवं डिपोवार चिन्हित करते हुये निम्नांकित प्रारूप में दिनांक 13-2-2020 तक निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	डिपो का नाम	मार्ग का नाम	चिन्हित पिकिंग प्वाइंट का नाम	मुख्य बस स्टेशन से पिकिंग प्वाइंट की दूरी	यात्री उपलब्धता/निगम कर्मियों की तैनाती की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7

उपरोक्त चिन्हित पिकिंग प्वाइंट्स पर निगम के अक्षम कार्मिक तैनात कर यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक यात्री को निगम बस की सेवा दी जाय। उपलब्ध लिपिकों को भी यथास्थिति लीन सीजन में इन प्वाइंट्स पर प्रयुक्त किया जा सकता है। सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो) द्वारा उक्त कार्मिकों को कार्य की अपेक्षाओं से भिन्न कराते हुये चिन्हित पिकिंग प्वाइंट्स पर कार्य लेने के आदेश में कार्य अवधि, साप्ताहिक विश्राम को सुस्पष्ट निर्धारित किया जाय।

पिकिंग प्वाइंट्स से बैठाये गये यात्रियों की संख्या की प्रविष्टि निम्नांकित प्रारूप अनुसार पंजिका में नियमित रूप से की जाय :-

क्रम	तिथि व समय	बस संख्या	डिपो व क्षेत्र का नाम	सेवा व मार्ग का नाम	बैठाये गये यात्रियों की संख्या	चालक का नाम	परिचालक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

पिकिंग प्वाइंट्स पर लगाये गये कार्मिकों के कार्य व पंजिका में की गई प्रविष्टियों का निरीक्षण यातायात अधीक्षक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक व क्षेत्रीय प्रबन्धक आकस्मिक रूप से करेंगे तथा व्यवस्था को सुदृढ़ रखेंगे। इन कार्मिकों की वेतन पंजिका से उपस्थिति का मिलान कर सम्बन्धित यातायात अधीक्षक के सत्यापन उपरान्त, वेतन आहरित किया जाय। प्रवर्तन वाहनों पर कार्यरत् यातायात अधीक्षक/निरीक्षक को इन पिकिंग प्वाइंट की समीक्षा का कार्य विशेष रूप से कराया जाय।

चालकों/परिचालकों को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा काउन्सिलिंग कर, प्रेरित किया जाय कि वे प्रत्येक संकेत देने वाले यात्री को प्रत्येक दशा में उठाये। यात्री के प्रति निगम का भाव "यात्री देवो भव" है, अतः समस्त निगमकर्मी प्रत्येक यात्री को संतोषजनक परिवहन उपलब्ध करायें। इस मौलिक कर्तव्य व आचरण के विपरीत कृत्य करने वाले कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जाय। समस्त मार्ग निरीक्षणकर्ता मार्ग पर सूक्ष्मता से यह परीक्षण करें कि यात्री को मार्ग पर कोई असुविधा न हो व सुनिश्चित करें कि प्रत्येक यात्री को निगम बस की सेवा उपलब्ध हो।

उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई के साथ करते हुये अग्रेतर माहों में यात्रियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि करते हुये, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष संचालन प्रतिफलों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। मंगलवार दिनांक 18-2-2020 की 10:00 में उक्त के अनुपालन की समीक्षा भी की जायेगी।

(डा. राज शेखर)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. वित्त नियन्त्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त यातायात अधीक्षक, प्रवर्तन दल, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

(डा. राज शेखर)  
प्रबन्ध निदेशक